उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील (पी0डी0एस0) सं0–08 / 2023–24

रूबीलाल हाँसदा.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

05.12.2023

यह रे0मि0 अपील (पी0डी0एस0) अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं0–47(A) / 2013, ज्ञापांक–02(मु0) / अनु0आ0, दिनांक–18.05.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0– 27 / 2001 को रद्द किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–27 / 2001 को विक्रेता के द्वारा खाद्य वितरण में मनमानी एवं अनियमितता बरतने के साथ कालाबजारी किये जाने के कारण दिनांक–18.05.2013 को रद्द किया गया है। अपीलकर्त्ता उक्त आदेश के विरूद्ध अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु एक आवेदन पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को समर्पित किया। तत्पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका ने अपने ज्ञापांक–1556 / जि0 आपूर्ति दिनांक–27.10.2023 के द्वारा श्री हाँसदा के अनुज्ञप्ति सं0–27 / 2001 को आदेश सं0–47(A) / 2013, ज्ञापांक–02(मु0) / अनु0आ0, दिनांक–18.05.2013को रद्द होने की सूचना भी दी गई। इसके पश्चात् भी अपीलकर्त्ता द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–27 / 2001 को पुर्नजीवित हेतु यह अपील दायर किया गया है।

झारखण्ड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अध्याय VI के क्रमांक 30(1) के अनुसार अनुज्ञप्ति के रद्धीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष उक्त आदेश की प्रति की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अन्दर अपील कर सकता है, किन्तु यह अपील 10 वर्षो के पश्चात् दायर किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता के आवेदन को कालवाधित मानते हुए अपील को अंगीकृत बिन्दु पर खारीज ही किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.12.28 13:07:18 +05:30
Location: 169.254.227.244